04-01-2017

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। आरोपी अनुपस्थित।

अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी की ओर से कोई सूचना नहीं है।

आरोपी बिना सूचना के अनुपस्थित है। अतः आरोपी तुलसी के जमानत मुचलके जप्त किये जाते हैं।

प्रकरण में दिनांक 23.12.15 को अभियुक्त तुलसी, गुड्डू को फरार घोषित किया जाकर स्थायी वारंट जारी किया गया था, इसके पूर्व बुद्ध सिंह के विरुद्ध भी फरार घोषित कर स्थयी वारंट जारी किया गया था। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ है। प्रकरण वर्ष 2006 से लंबित है और बार—बार अभियुक्त प्रकरण में अनुपस्थित हो जाते हैं। अतः अभियुक्त तुलसी को भी पुनः फरार घोषित किया जाकर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावें।

अभियुक्तगण के उपस्थित होने तक प्रकरण को अभिलेखागार में स्रक्षित रखा जाावें।

प्रकरण का परिणाम पंजी में अंकित कर अभिलेखागार में जमा किया जावें।

> प्रदीप मित्तल द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर जिला अनुपपुर (म०प्र०)